रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052024-254156
CG-DL-E-10052024-254156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1881] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2024/वैशाख 20, 1946
No. 1881] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2024/VAISAKHA 20, 1946

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

का. आ. 1974(अ.).—जबकि भारत सरकार ने नई दिल्ली, भारत में एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए19 जुलाई, 2023 को एक करार पर हस्ताक्षर किए;

और जबकि उक्त करार के अनुच्छेद 2, 3, 4 और अनुच्छेद 5 और अनुबंध I यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) क्षेत्रीय कार्यालय, उसके प्रतिनिधियों और कार्मिकों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करते हैं;

और जबकि केंद्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के तहत प्रदान किए गए आवश्यक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को यूपीयू क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, उसके प्रतिनिधियों और कार्मिकों तक विस्तारित करना समीचीन समझती है;

इसलिए, अब, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ) अधिनियम, 1947 (1947 की 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद I की धारा 1, धारा 2,3 ,4,5,6,7 और अनुच्छेद II की धारा 8, अनुच्छेद III की धारा 9 और धारा 18 के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) और अनुच्छेद V की धारा 20 और धारा 22 के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) और अनुच्छेद VI की धारा 23 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ, यूपीयूक्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, भारत, इसके प्रतिनिधियों और कार्मिकों पर लागू होंगे।

[फा. सं. डी-II/451/16(2)/2023]

अंशुमन गौड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2024

S.O 1974(E).—WHEREAS the Government of India signed an Agreement for establishment of a Universal Postal Union Regional Office at New Delhi, India on the 19th July, 2023;

AND WHEREAS Articles 2, 3, 4 and Article 5 and the Annexure I of the said Agreement provide for privileges and immunities to the Universal Postal Union (UPU) Regional Office, its representatives and officials;

AND WHEREAS the Central Government considers it expedient to extend the necessary privileges and immunities provided under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) to the UPU Regional Office, New Delhi, its representatives and officials;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of section 1 of Article I, sections 2,3,4,5,6,7 and section 8 of Article II, section 9 of Article III and clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of section 18 and section 20 of Article V and clauses (a), (b), (c), (d), (e) and (f) of section 22 and section 23 of Article VI of the Schedule to the said Act shall apply, *mutatis mutandis*, to the UPU Regional Office, New Delhi, India, its representatives and officials.

[F .No. D-II/451/16(2)/2023]

ANSHUMAN GAUR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.05.10 20:54:28 +05'30'